अनुबंध- 1

(मास्टर परिपत्र का पैरा ए. 1.1)

विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000

दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना जीएसआर 381 (ई) (समय-समय पर यथा संशोधित)*:- केंद्र सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 5 तथा उप दारा (1) और धारा 46 की उप-धारा (2) के खण्ड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके लोक हित में इसे आवश्यक समझते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात;

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-(1) इन नियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 कहा जाएगा।

(2) ये 1 जून 2000 को प्रभावी होंगे ।

2.परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;

(ए) **"अधिनियम"** का अभिप्राय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) है;

(बी) **"आहरण"** का अभिप्राय किसी प्राधिकृत व्यक्ति से विदेशी मुद्रा का आहरण है और जिससे साख पत्र खोलना या अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड या अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड या किसी अन्य वस्तु, चाहे उसका कोई भी नाम हो और जिससे विदेशी मुद्रा देयता उत्पन्न होती है, शामिल है;

(सी) **"अनुसूची"** का अभिप्राय इन नियमों से संलगन अनुसूची है;

(डी) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियममें परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3.विदेशी मुद्रा आहरण पर प्रतिबंध :- किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण करना निषिद्ध है , अर्थात्

ए) अनुसूची I में विनिर्दिष्ट कोई लेन-देन; अथवा

बी) नेपाल और / या भूटान की यात्रा; अथवा

सी) नेपाल या भूटान में निवासी व्यक्ति के साथ कोई लेन-देन;

बशर्ते भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसी शर्तों के अधीन जैसा वह विशेष या साधारण आदेश द्वारा अनुबद्ध करना आवश्यक समझे, खंड (सी) के निषेध में छूट दे।

4. भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन :- कोई व्यक्ति भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुसूची II में शामिल किसी लेन-देन के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण नहीं करेगा;

बशर्ते यह नियम वहाँ लागू नहीं होगा, जहाँ भुगतान प्रेषक के निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खाते में जमा निधि से किया जाता है ।

5. **रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन :-** कोई भी व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुसूची III में शामिल किसी लेन-देन के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण नहीं करेगा;

   बशर्ते यह नियम वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ भुगतान प्रेषक के निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खाते में जमा निधि से किया जाता है।

6. (1) नियम 4 या 5 की कोई बात, प्रेषक के विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में धारित निधियों में से आहरण पर लागू नहीं होगी।

   (2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, नियम 4 या नियम 5 के अधीन लगाए गए प्रतिबंध वहाँ लागू रहेंगे जहाँ विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी (ईईएफसी) खाते से आहरण को अनुसूची II की मद 10 और 11 या अनुसूची III की मद 3, 4, 11, 16 और 17, जैसी भी स्थिति हो, में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए है ।

7. **भारत के बाहर रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग**
   भारत के बाहर यात्रा पर रहते हुए किए गए व्यय के लिए व्यक्ति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर नियम 5 की कोई बात लागू नहीं होगी।

अनुसूची - 1

लेन देन, जिनकी मनाही है

(नियम 3 देखिए)

1. लाटरी की जीत में से विप्रेषण ।
2. घुड़दौड़ / घुड़सवारी आदि या किसी अन्य /शौक से हुई आय का विप्रेषण ।
3. लाटरी टिकट, प्रतिबंधित/ गैर कानूनी घोषित पत्रिकाओं की खरीद, फ़ुटबाल पूल, घुड़ दौड़ में दांव लगाने आदि के लिए विप्रेषण।
4. भारतीय कंपनियों की विदेशों में संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में ईक्विटी निवेश के लिए किए गए निर्यात पर कमीशन का भुगतान ।
5. किसी कंपनी द्वारा लाभांश विप्रेषण जिसको लाभांश संतुलन की अपेक्षा लागू है।
6. चाय और तंबाकू के निर्यातों के बीजक मूल्य के 10% कमीशन को छोड़कर रुपए स्टेट क्रेडिट रूट के अधीन निर्यात पर कमीशन का भुगतान ।
7. दूरभाष के "काल बैक सर्विसेज़" से संबंधित भुगतान ।
8. अनिवासी विशेष रुपए खाते में रखी निधियों पर ब्याज की आय से विप्रेषण।

अनुसूची - II

लेनदेन, जिन्हें केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता है

(नियम 4 देखिए)

प्रेषण का प्रयोजन	भारत सरकार का मंत्रालय/विभाग जिसका अनुमोदन अपेक्षित है।
1. सांस्कृतिक यात्राएं	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग)
2. किसी राज्य सरकार या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पर्यटन, विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय बोली (10,000 अमरीकी डॉलर से अधिक) से भिन्न प्रयोजन के लिए विदेशी प्रिंट मीडिया में विज्ञापन	वित्त मंत्रालय,(आर्थिक कार्य विभाग)
3. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भाड़े पर लिए गए जलयान के माल भाड़े का विप्रेषण	भूतल परिवहन मंत्रालय (माल भाड़ा स्कंध)
4. सरकारी विभाग या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा सीआईएफ के आधार पर (अर्थात एफ.ओ.बी. और एफ.ए.एस. पर आधारित को छोड़कर) समुद्र परिवहन के जरिए आयात का भुगतान	भूतल परिवहन मंत्रालय (माल भाड़ा स्कंध)
5. अपने विदेश स्थित एजेंटों को विप्रेषण करने वाले बहुविध परिवहन संचालक	पोत परिवहन महानिदेशक से पंजीकरण प्रमाण पत्र
6. निम्नलिखित द्वारा ट्रांसपांडर के किराए का प्रेषण (ए) टीवी चैनल (बी) इंटरनेट सेवा	 सूचना और प्रसारण मंत्रालय संचार और सूचना तकनीकी मंत्रालय
7. कंटेनर रोक रखने के लिए पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा निर्धारित प्रभार से अधिक दर का विप्रेषण	भूतल परिवहन मंत्रालय (पोत परिवहन महानिदेशक)
8 हटा दिया गया।	
9. यदि 100,000 अमरीकी डालर से अधिक की राशि शामिल है तो अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खेल निकायों को छोड़कर किसी व्यक्ति द्वारा विदेश में पुरस्कार राशि/ खेल कार्यकलाप के खर्च का विप्रेषण	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग)
10. हटा दिया गया।	
11. पी एण्ड आई क्लब की सदस्यता के लिए विप्रेषण	वित्त मंत्रालय (बीमा प्रभाग)

अनुसूची III

(नियम 5 देखिए)

1. हटा दिया गया

2. किसी देश (नेपाल और भूटान को छोड़कर) में एक या अधिक बार निजी यात्रा के लिए एक वित्तीय वर्ष में 10,000 अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य से अधिक मुद्रा जारी करना।

3. प्रति वित्तीय वर्ष निवासी व्यक्ति से इतर प्रति प्रेषक / दाता, 5000 अमरीकी डॉलर से अधिक का उपहार विप्रेषण ।

4. (i) प्रति वित्तीय वर्ष निवासी व्यक्ति से इतर प्रति प्रेषक/दाता 5000 अमरीकी डालर से अधिक का दान।

(ii) कार्पोरेटस् द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उनके विदेशी मुद्रा अर्जन के एक प्रतिशत से अधिक अथवा 5,000,000 अमरीकी डालर, जो भी कम है, निम्नलिखित के लिए दान:-

(ए) प्रख्यात शैक्षणिक संस्थाओं में अध्यक्षों का निर्माण;

(बी) शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा प्रवर्तित निधियों (निवेश निधि नहीं) के लिए, और

(सी) दाता कंपनी की गतिविधि के क्षेत्र में किसी तकनीकी संस्था अथवा निकाय अथवा सहयोगी को ।

स्पष्टीकरण :- मद सं. 3 और 4 के प्रयोजन के लिए, उपहार का विप्रेषण और निवासी व्यक्तियों द्वारा दान उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत शामिल किया गया है ।

5. रोज़गार के लिए विदेश जानेवाले व्यक्तियों के लिए 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक के लिए मुद्रा सुविधाएं ।

6. 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक या देश में उत्प्रवास के लिए निर्धारित रकम के लिए मुद्रा सुविधाएं ।

7. विदेश में रह रहे नज़दीकी रिश्तेदारों के भरण पोषण के लिए विप्रेषण : @@

(i) जो निवासी है किंतु भारत में स्थायी रूप से नहीं रहता है उसके निवल वेतन से अधिक (कर कटौती, भविष्य निधि में अंशदान और अन्य कटौतियों के बाद) और

(ए) जो पाकिस्तान से भिन्न किसी विदेशी राज्य का नागरिक है; अथवा

(बी) भारत का नागरिक हैं, जो ऐसी विदेशी कंपनी के भारत स्थित किसी कार्यालय अथवा शाखा अथवा सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम में प्रतिनियुक्ति पर है।

(ii) अन्य सभी मामलों में प्रति प्राप्तिकर्ता प्रति वर्ष 100,000 अमरीकी डालर से अधिक।

स्पष्टीकरण *: इस मद के प्रयोजन के लिए, किसी विनिर्दिष्ट अवधि हेतु अपने नियोजन अथवा प्रतिनियुक्ति के कारण (अवधि की लंबाई पर ध्यान दिए बिना) या किसी विनिर्दिष्ट कार्य या कर्तव्यभार के लिए भारत में निवास करने वाला कोई व्यक्ति जिसकी निवास की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं है, निवासी है किंतु स्थायी तौर पर निवासी नहीं है ।*

8. कारोबार यात्रा या किसी सम्मेलन में भाग लेने या विशेष प्रशिक्षण या चिकित्सा के लिए विदेश जाने वाले रोगी के खर्चों को वहन करने या विदेश में स्वास्थ्य की जाँच कराने या चिकित्सा/जाँच के लिए विदेश जाने वाले रोगी के साथ सहायक के रूप में रहने के लिए किसी व्यक्ति को, रुकने की अवधि पर ध्यान दिए बगैर 25,000 अमरीकी डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा जारी करना ।

9. विदेश में चिकित्सा के खर्चों को पूरा करने के लिए मुद्रा जारी करना जो भारत में चिकित्सक या विदेशी अस्पताल/चिकित्सक द्वारा दिए गए अनुमान से अधिक है।

10. विदेश में पढ़ने के लिए विदेशी संस्थान के अनुमान से अधिक या 100,000 अमरीकी डालर, प्रति शैक्षणिक वर्ष, जो भी अधिक हो, मुद्रा जारी करना।

11. भारत में आवासीय फ़्लैटों/वाणिज्यिक प्लाटों के विक्रय के लिए 25,000 अमरीकी डालर या 5 प्रतिशत से अधिक आवक विप्रेषण प्रति लेन-देन जो भी अधिक हो, के लिए विदेश में एजेंट को कमीशन।

12. हटा दिया गया

13. हटा दिया गया

14. हटा दिया गया

15. मूलभूत संरचना क्षेत्र परियोजनाओं के संबंध में परामर्शी सेवाओं के लिए प्रति परियोजना 10,000,000 अमरीकी डालर से अधिक और भारत के बाहर से प्राप्त की गई अन्य परामर्शी सेवाओं के लिए प्रति परियोजना 1,000,000 का विप्रेषण।

स्पष्टीकरण:- इस मद संख्या के प्रयोजन के लिए मूलभूत संरचना क्षेत्र परियोजना निम्नलिखित के संबंध में है –

(i) ऊर्जा

(ii) दूरसंचार

(iii) रेलवेज्

(iv) पुलों सहित रास्ते

(v) बंदरगाह तथा हवाई अड्डा

(vi) औद्यौगिक पार्क, और

(vii) शहरी मूलभूत संरचना क्षेत्र (जल आपूर्ति, सफाई, जल-मल निकासी)

16. हटा दिया गया।

17. पूर्व निगमन व्यय की प्रतिपूर्ति के जरिए भारत में किसी कंपनी द्वारा भारत में लाये गये निवेश के पाँच प्रतिशत से अधिक अथवा 100,000 अमरीकी डालर, जो भी उच्चतर है, का विप्रेषण।

18. हटा दिया गया

(संशोधन)

17 अगस्त, 2000 की अधिसूचना जी.एस.आर.663(E)

30 मार्च, 2001 की एस.ओ.301 (E)

2 नवंबर, 2002 की अधिसूचना जी.एस.आर.442(E)

20 दिसंबर, 2002 की अधिसूचना जी.एस.आर.831(E)

16 जनवरी, 2003 की अधिसूचना जी.एस.आर.33(E)

14 मई, 2003 की अधिसूचना जी.एस.आर.397(E)

11 सितंबर, 2003 की अधिसूचना जी.एस.आर.731(E)

29 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना जी.एस.आर.849(E)

13 सितंबर, 2004 की अधिसूचना जी.एस.आर.608(E)

28 जुलाई, 2005 की अधिसूचना जी.एस.आर.512(E)

11 जुलाई, 2006 की अधिसूचना जी.एस.आर.412(E)

28 जुलाई, 2006 की अधिसूचना जी.एस.आर.511(E)

22 मई, 2009 की अधिसूचना जी.एस.आर.349(E)और

05 मई, 2010 की अधिसूचना जी.एस.आर.382(E)

कृपया नोट करें:

@@ 14 जनवरी, 2010 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.6 के साथ पढ़ा जाए।